

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट डबली कलां)

- सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कलां तहसील टिब्बी।
- रणवीर पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कलां तहसील टिब्बी।

बनाम

-वादीगण

- रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कलां तहसील टिब्बी।
- पार्वती पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कलां तहसील टिब्बी।
- समेस्ता पुत्री रामलाल पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी माणक थोड़ी तहसील पीलीबंगा।

-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या:-254/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-13.6.2018

वादीगण की ओर से श्री रायसिंह भाखर एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री संदीप कस्वां एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के नाम से दर्ज चक नं. 12 डीबीएल के खाता संख्या 88/72 में अंकित कुल 1.949 है. दर्ज कमाण्ड आराजी के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर चक नं. 12 डीबीएल के खाता संख्या 88/72 में से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल का नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस.	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0